जनपद चमोली में P.M.G.S.Y. के अन्तर्गत पोखरी काण्डई मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य हेतु 7.35 है0 हस्तान्तरण वन भूमि के एवज में दो गुना क्षेत्रफल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन 7.35 है0 X2 = 14.70 है0

1 परियोजना का नाम :– पोखरी–काण्डई मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य

2 वृक्षारोपण स्थल का नाम:– काफलपानी एवं रवाल्यौं

3 वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल:– 14.70 है0

4 रोपित किये जाने वाली पौधों की सं0:– 29400 पौध

5 रोपित किये जाने वाले प्रजाति:–बांज,कचनार,आंवला,काफल आदि

अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन प्रभाग,गोपेश्वर।

क्र0सं0	कार्य विवरण	इकाई		दर		धनराशि
1	2	3		4		5
1	सर्वेक्षण व सीमांकन कार्य	14.70	है0	78.00		1146.60
2	वृक्षारोपण क्षेत्र की झाडी काटना व सफाई करना / कंटीली झाडी	14.70	है0	2543.00		37382.10
3	दीवालबन्दी कार्य पर व्यय	14.70	है0	15309.00		225042.30
4	अभियन्त्रण व जल संरक्षण कार्य पर व्यय	14.7	है0	6240.00		91728.00
5	गड्डे खुदान कार्य पर व्यय (0.30X0.30X0.45) रेखांकन सहित	29400.00	सं0	5.42		159348.00
6	निरीक्षण बटिया निर्माण कार्य पर व्यय प्रति है0 50 र0मी0 लम्बी व 60 मी0 चौडी X 14.70	~~44~~ 441	व.मी.	12.00		5292.00
7	अन्य व्यय जैसे संयत्र क्रय करना औजार तेज करना	2	बार	L.S.		1000.00
8	पौध की कीमत प्रथम वर्ष	29400	पौध	4.30	प्रति	126420.00
	योग प्रथम वर्ष :–					647359.00
	द्वितीय चरण					
1	गड्डे भरान कार्य (0.30X0.30X0.45)	29400	सं0	0.97		28518.00
2	वृक्षारोपण से पूर्व क्षेत्र की झाडी कटान व सफाई करना कंटीली झाडी	14.70	है0	1287.00		18918.90
3	पौध की कीमत द्वितीय वर्ष	29400	सं0	1.20		35280.00
4	पौध ढुलान का कार्य पर व्यय	29400	सं0	6.00		176400.00
5	पौध रोपण तथा थावला बन्दी कार्य पर व्यय	29400	सं0	1.89		55566.00
6	रोपण के पश्चात प्रथम निराई गुडाई	29400	सं0	129.00	प्रति सै0	37926.00
7	द्वितीय निराई गुडाई मल्चिंग पर व्यय	29400	सं0	111.00	प्रति	32634.00
8	देखरेख व रखरखाव पर व्यय (7) माह अगस्त से फरवरी तक	14.70	है0	468.00	प्रति माह	48157.00
9	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखी घास व जवलनशील पदार्थो को हटाना	14.70	है0	L.S.		5000.00
10	सुरक्षा दीवाल के बाहर चार मीटर की पट्टी को साफ करना	14.70	है0	L.S.		5000.00
11	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना 1– प्रशिक्षण	I प्रशिक्षण	सं0	L.S.		10000.00
	2– प्रोत्साहन	2	सं0	L.S.		5000.00
12	साइन बोर्ड कण्डी सुतली बोरी एवं पॉलीथीन सीट क्रय करना फोटोग्राफी प्रचार प्रसार व डोक्योमेटेशन आदि कार्य	14.70	है0	780/- प्रति है0		11466.00
	योग द्वितीय चरण :–					469865.00

	तृतीय चरण					
1	ग्रामीण हेतु गैस कनैक्शन क्रय करना	20	सं0	5000	प्रति	100000.00
2	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	14.70	है0	468.00	प्रति है0	82555.20
3	पौधों की लागत कुल रोपण का 10%	2940	सं0	5.50	प्रति	16170.00
4	पौधों का ढुलान कार्य करना	2940	सं0	6.00	प्रति	17640.00
5	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखी घास व जवलनशील पदार्थो को हटाना	14.70	है0	L.S.		5000.00
6	सुरक्षा दीवाल के बाहर चार मीटर की पट्टी को साफ करना	14.70		L.S.	प्रति है0	5000.00
7	शीतकाल में पौधों की गुडाई एवं मल्चिंग करना	29400	सं0	1.11	प्रति पौध	32634.00
8	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना 1– प्रशिक्षण	1	सं0	L.S.		10000.00
	2– प्रोत्साहन					2000.00
9	पुनः गडडा खोदना एवं रोपण करना	2940	सं0	3.20	प्रति	8820.00
	योग तृतीय चरण :–					**279819.20**
	चतुर्थ चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	14.70	है0	468.00		82555.00
	योग चतुर्थ चरण :–					**82555.00**
	पंचम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	14.70	है0	468.00		82555.00
	योग पंचम चरण :–					**82555.00**
	षष्ठम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	14.70	है0	468.00		82555.00
	योग षष्ठम चरण :–					**82555.00**
	सप्तम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	14.70	है0	468.00		82555.00
	योग सप्तम चरण :–					**82555.00**
	अष्ठम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	14.70	है0	468.00		82555.00
	योग अष्ठम चरण :–					**82555.00**
	नवम् चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्ठम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	14.70	है0	468.00		82555.00

योग नवम् चरण :–					82555.00
दशम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	14.70 है0	468.00		82555.00
योग दशम चरण :–					82555.00
कुल योग					1974928.20

सारांश

क्र0सं0	वर्ष	कुल प्रस्तावित व्यय		
1	प्रथम वर्ष	647359.00		
2	द्वितीय वर्ष	469865.00		
3	तृतीय वर्ष	279819.20		
4	चतुर्थ वर्ष	82555.00		
5	पंचम वर्ष	82555.00		
6	छटवां वर्ष	82555.00		
7	सातवां वर्ष	82555.00		
8	आठवां वर्ष	82555.00		
9	नवां वर्ष	82555.00		
10	दसवां वर्ष	82555.00		
	कुल योगः–	1974928.20		

किन्तु निर्धारित सीलिंग के अनुसार देय।
रू. 1,30000/प्रति है0 X 14.70 है0 = 1911000/- मात्र

रूपय 1911000/- मात्र

हेतु जांच किया।

मानचित्रकार
अलकनन्दा भूमि संरक्षण
वन प्रभाग-गोपेश्वर (चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी
पोखरी वन क्षेत्र
नागनाथ

वन क्षेत्राधिकारी
नागनाथ रेंज

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन प्रभाग
गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
अलकनन्दा भू0स0वन प्रभाग
गोपेश्वर

नकल खसरा

ग्राम पानी रा०उ०नि० क्षेत्र त्रिशुला तहसील पोखरी जनपद चमोली।

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
उ०ख० सरकार	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	बंजर	7.713	—	—

प्रमाणित किया जाता है कि खसरा नकल असल से तैयार की गई है, खसरा नम्बर 220 सम्पूर्ण क्षेत्रफल 7.713 हे० राज्य सरकार की सीविल भूमि को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पोखरी-कांडई मोटर मार्ग से प्रभावित होने वाली भूमि के क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई है।

20/9/17

रा०उ०नि०
त्रिशुला।

नकल ज०वि०र० (एस.जेड.ए.) खतौनी

ग्राम काकड़पानी रा०उ०नि० क्षेत्र त्रिशुला तहसील पोखरी जनपद चमोली।

श्रेणी 9 (3) ङ -: कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि।

2	3	4	5	6	7	8
पु० ख०० सरकार (बंजर)		220	3-8॥=	7.713	—	—

सत्यप्रतिलिपि,

20/9/17

रा०उ०नि०

त्रिशुला।

नकल खसरा

ग्राम खाल्यू रा०उ०नि० क्षेत्र देवर तहसील पोखरी जनपद चमोली ।

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0.978	8	कु० ख० सरकार		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	ओडा	0.978	-	-
6.194	8	कु० ख० सरकार		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ओडा	6.194	-	-

प्रमाणित किया जाता है कि खसरा नकल असल से तैयार की गई है, खसरा नम्ब[र] 40 रकबा 0.978 हे० मध्ये 0.793 हे० तथ[ा] खसरा नम्बर 135 सम्पूर्ण रकबा 6.194 हे० राज्य सरकार की सीविल भूमि को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पोखरी -काण्ड[ई] मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाली भूमि के क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई है।

(हस्ताक्षर)
रा०उ०नि०
देवर।

ज० वि० र० (एम. जेड. ए.) खतौनी,

ग्राम रंवालयू रा०उ०नि० क्षेत्र देवर तहसील पोखरी जनपद चमोली,
श्रेणी 10(4) -: अन्य कारणों से अकृषिक भूमि,

2	3	4	5	6	7	8
उ० ख० सरकार (भीटा)	40	४८॥।=	0.978	—	—	—
	924	३०८।।।-	6.194	—	—	—

सत्यप्रतिलिपि,
रा०उ०नि०
देवर,

2.11

37

परियोजना का नामः– जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पोखरी–काण्डई मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव :–

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वहन की जायेगी।

ह0/
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड / प्रयोक्ता एजेन्सी लो०नि०वि०
पोखरी (चमोली)
S.E

वन क्षेत्र अधिकारी
पोखरी वनक्षेत्र

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी
अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन प्रभाग
गोपेश्वर

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
पोखरी चमोली

वनक्षेत्राधिकारी
नागनाथ रेंज

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन प्रभाग
गोपेश्वर

परियोजना का नामः—जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पोखरी—काण्डई मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव :—

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ~~देवस्थान~~ डिडिल स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

वन क्षेत्र अधिकारी
पोखरी

ह0/— प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन प्रभाग
गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
नागनाथ रेंज

2.31

परियोजना का नामः—जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पोखरी—काण्डई मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव :—

भू—वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ह0/—
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण (प्रयोक्ता एजेन्सी)

S.E

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
पोखरी (चमोली)

परियोजना का नामः—जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पोखरी—काण्डई मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव :—

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बद्री0वन. प्रभाग
गोपेश्वर

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
पोखरी (चमोली)

S.E

वन क्षेत्र अधिकारी
पोखरी चमोली

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन प्रभाग
गोपेश्वर

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
पोखरी (चमोली)

परियोजना का नामः—जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पोखरी—काण्डई मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव :—

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.

(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.

(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.

(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.

(ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.

(iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.

(iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In

(v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियों का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा हैं।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड/लो० नि० वि०
प्रयोक्ता एजेन्सी
पोखरी (चमोली)

J.E

निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
पोखरी(चमोली)

1.6

6

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना / अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector, Chamoli

No. Dated

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **9.8 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **PWD Pokhari (PMGSY), Uttarakhand** for Construction of Pokhari-Kandai Motor Road under PMGSY in Chamoli district falls within jurisdiction of Gugli, Sarnachain, Dhamak, Kaafalpaani, Bhatav, Trishula villages in Pokhari Tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **9.8 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure II.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

तहसीलदार
तहसील पोखरी
जिला चमोली

3/11/015

उप जिलाधिकारी
पोखरी

प्रभागीय वनाधिकारी
अलकनन्दा भूमसंरक्षण प्रभाग
गोपेश्वर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन प्रभाग
गोपेश्वर

जिलाधिकारी
चमोली

प्रारुप–30.2

परियोजना का नामः– जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत पोखरी–काण्डई मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी पोखरी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति पोखरी

उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत पोखरी–काण्डई मोटर मार्ग के अन्तर्गत (4.20 है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 3.15 है0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 7.35 है0 वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पोखरी)की दिनांक 17/01/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री/श्रीमती बी. एस. नेगी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क0सं0	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री /श्रीमती बी. एस नेगी	उपजिलाधिकारी – अध्यक्ष	[signature]
2	श्री /श्रीमती धीरज सिंह नेगी	वन क्षेत्राधिकारी–सदस्य	[signature]
3	श्री /श्रीमती T.S. Rana	सहायक समाज कल्याण अधिकारी / ए.बी. डी.ओ. –सदस्य	[signature]
4	श्री /श्रीमती प्रदीप लखेड़ा	क्षेत्र पंचायत सदस्य –सदस्य	प्रदीप
5	श्री /श्रीमती प्रभादेवी	क्षेत्र पंचायत सदस्य –सदस्य	प्रभा देवी
6	श्री /श्रीमती सरोजनी देवी	क्षेत्र पंचायत सदस्य –सदस्य	सरोजनी देवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि पोखरी–काण्डई मोटर मार्ग परियोजना हेतु 7.35 है0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग केदारनाथ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत पोखरी–काण्डई मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 7.35 है0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील पोखरी
जनपद चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील पोखरी
जनपद चमोली

1.6

8

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :–प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत पोखरी–काण्डई मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम –गुगली, शरणाचाई,ढामक, काफलपानी
तहसील, पोखरी जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत पोखरी–काण्डई मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु सिविल सोयम भूमि कुल वन भूमि 4.2 है० वन पंचायत भूमि 3.15 है० कुल वनभूमि 7.37 है० का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्त्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गुगली, शरणाचाई, ढामक, काफलपानी द्वारा दिनांक 12-12-14 सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गुगली, शरणाचाई, ढामक, काफलपानी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पोखरी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव

नोट :– ' यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रारुप–30.3

परियोजना का नामः–जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पोखरी–काण्डई मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव :–

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– गुगली, शरणाचांई, बीणा तल्ला, काफलपानी,
तहसील–पोखरी, जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पोखरी–काण्डई मोटर मार्ग के परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि 0.0 हे0, सिविल सोयम भूमि 4.2 हे0, वन पंचायत भूमि 3.15 हे0) अर्थात कुल 7.35हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गुगली, शरणाचांई, बीणा तल्ला, ढामक, काफलपानी द्वारा दिनांक 12.12.2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गुगली, शरणाचांई, बीणा तल्ला, ढामक, काफलपानी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पोखरी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

प्रधान
ग्राम बीणा तल्ला

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

परियोजना का नामः—जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पोखरी—काण्डई मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावः—

दिनांक 12/12/014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बीणा तल्ला, काफलपानी (त्रिशूला)

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1 –	अनीता देवी प्रधान बीणा तल्ला	अनीता देवी
2 –	किशोर सिंह ग्राम बीणा तल्ला	[signature]
3 –	रणजीत सिंह —"— —"—	रणजीत सिंह
4 –	कमल सिंह —"— —"—	कमल सिंह
5 –	राजेश्वरी देवी —"— —"—	राजेश्वरी देवी
6 –	राजू लाल ग्राम प्रधान त्रिशूला (काफलपानी)	राजू लाल
7 –	दर्शनी देवी ग्राम त्रिशूला (काफलपानी)	दर्शनी देवी
8 –	मोहन लाल —"— —"—	मोहन लाल
9 –	बीर सिंह —"— —"—	बीर सिंह
10 –	अनुसुया प्रसाद —"— —"—	अनुसुया प्रसाद
11 –	विशम्भर दत्त —"— —"—	विशम्भर दत्त
12 –	केशर सिंह —"— —"—	[signature]

ह0/—
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत बीणा तल्ला
हस्ताक्षर अनीता देवी
दिनांक
वि0 ख0 पोखरी (चमोली)

प्रधान ग्राम पंचायत सरणाचार्ड
हस्ताक्षर
दिनांक
वि0 ख0 पोखरी (चमोली)
[signature]
प्रधान सरणाचार्ड

प्रधान ग्राम पंचायत त्रिशूला
हस्ताक्षर राजूलाल
दिनांक
वि0 ख0 पोखरी (चमोली)

4	FP/UK/ROAD/10131/2015 Construction of Pokhari - Kandai Motor Road	ROAD101312015552	6110131552	07 Aug 2018	**CA:** 4096375.5/- , **PCA:** 0/- , **Safety Zone:** 0/- , **NPV:** 6210750/- , **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 10307125.5/-	**Addl CA :** 0/- **CAT :** 0/- **Addl PA :** 0/- **Other Charges :** 0/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** :10 Jan 2019 **Bank Name** :Corporation Bank **Mode of Payment** :NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** :11 Jan 2019 **Transaction Date** :25 Jan 2019	Demand Letter Generated Challan
5	FP/UK/ROAD/10226/2015 helong dumak motor road	ROAD102262015775	6110226775	10 Jul 2018	**CA:** 4815331/- , **PCA:** 0/- , **Safety Zone:** 0/- , **NPV:** 7750080/- , **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 12565411/-	**Addl CA :** 0/- **CAT :** 0/- **Addl PA :** 0/- **Other Charges :** 0/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** :01 Jan 2019 **Bank Name** :Corporation Bank **Mode of Payment** :NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** :03 Jan 2019 **Transaction Date** :25 Jan 2019	Demand Letter Generated Challan
6	FP/UK/ROAD/10790/2015 Construction of Shrigad - Hanoli Motor Road	ROAD107902015056	6110790056	26 Oct 2018	**CA:** 1170393/- , **PCA:** 0/- , **Safety Zone:** 0/- , **NPV:** 1774500/- , **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 2944893/-	**Addl CA :** 0/- **CAT :** 0/- **Addl PA :** 0/- **Other Charges :** 0/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** :10 Jan 2019 **Bank Name** :Corporation Bank **Mode of Payment** :NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** :11 Jan 2019 **Transaction Date** :25 Jan 2019	Demand Letter Generated Challan
7	FP/UK/ROAD/11192/2015 tapovan -karchho motor road	ROAD111922015172	113111922015172	31 Jul 2015	**CA:** 1175001/- , **PCA:** 0/- , **Safety Zone:** 0/- , **NPV:** 1783149/- , **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 2958150/-	**Addl CA :** 0/- **CAT :** 0/- **Addl PA :** 0/- **Other Charges :** 0/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** :30 Sep 2016 **Bank Name** :Corporation Bank **Mode of Payment** :NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** :03 Oct 2016 **Transaction Date** :28 Dec 2016	Demand Letter Generated Challan
8	FP/UK/ROAD/10123/2015 Construction of Mohankhal -	ROAD101232015505	113101232015505	04 Mar 2016	**CA:** 1128480/- , **PCA:** 0/- , **Safety Zone:** 0/- ,	**Addl CA :** 0/- **CAT :** 0/- **Addl PA :** 0/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** :06 Aug 2016 **Bank Name** :Corporation Bank	Demand Letter Generated Challan

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0
खण्ड,लो०नि०वि०,पोखरी

Phone: 01372-222225
Fax:01372-222225
E-Mail:- eepmgsypokhari@rediffmail.com

पत्रांक 538 / 1सी0वनभूमि दिनांक 06 / 05 / 2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः– जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पोखरी–काण्डई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 14.70 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पत्र संख्या 08 / बी / यू0सी0पी0 / 06 / 117 / 2015 / एफ0सी0 / 959 दिनांक 07.08.2018 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–333 / X-4-15/1(158)/2015 दिनांक 23.05.2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उक्त मोटर मार्ग पर सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है तथा अध्यारोपित शर्तों के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है–

बिन्दु संख्या 01 :– शर्त संख्या 01 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु धनराशि रू0 4096375.50 मात्र वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS CHALLAN FOR AD-HOC CAMPA दिनांक 11.01.2019 APPLICATION NO. ROAD 101312015552 द्वारा दिनांक 25.01.2019 को जमा कर दी गई है (संलग्न–1) तथा जिलाधिकारी चमोली के पत्रांक 4476 / छब्बीस–17 (2018–2019) दिनांक 04.05.2019 के द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 14.70 हे0 सिविल सोयम भूमि का वन विभागीय पक्ष में नामान्तरण / हस्तान्तरण किया गया है (संलग्न–1)।

बिन्दु संख्या 02 :– शर्त संख्या 02 के अनुसार NPV की देय धनराशि रू0 6210750.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में NEFT / RTGS CHALLAN FOR AAD-HOC CAMPA दिनांक 11.01.2019 APPLICATION NO. ROAD 101312015552 द्वारा दिनांक 25.01.2019 को जमा कर दी गई है। (संलग्न–1)

बिन्दु संख्या 03:– शर्त संख्या 03 के अनुसार विभाग द्वारा बढ़ी हुई NPV की धनराशि जमा कर दी जायेगी जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्न–1)

बिन्दु संख्या 04 :– शर्त संख्या 04 के अनुसार NPV तथा दूसरी सभी निधियां NEFT/RTGS CHALLAN FOR AD-HOC CAMPA दिनांक 11.01.2019 APPLICATION NO. ROAD 101312015552 द्वारा दिनांक 25.012019 को जमा कर दी गई है। (संलग्न–1)

बिन्दु संख्या 05 :– शर्त संख्या 05 के अनुसार सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सके सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation की जायेगी। (संलग्न–1)

बिन्दु संख्या 06:– शर्त संख्या 06 के अनुसार Authorization Letter अपलोड़ कर दी गई है। (संलग्न–1)

बिन्दु संख्या 07:– शर्त संख्या 07 के अनुसार Muck Dumping detail in component wise break up para B 2.4 online Part-1 में अपलोड़ कर दी गई है। (संलग्न–1)

अतः उक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कर नोडल अधिकारी वन संरखण उत्तराखण्ड देहरादून विधिवत स्वीकृत हेतु अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कृपा करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

Recd
06-05-19

भवदीय
06.05.19
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो०नि०वि०, पोखरी।

Scanned by CamScanner

परियोजना का नामः—जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पोखरी—काण्डई मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव :—

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

ह0/—
प्रयोक्ता एजेन्सी

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
पोखरी (चमोली)

S.E

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
पोखरी चमोली

वनक्षेत्राधिकारी
नागनाथ रेंज

— आदेश —

जनपद चमोली के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत पोखरी–काण्डई मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 7.35 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 14.70 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0–08बीं/यू0सी0पी0/06/117/2015/एफ0सी0/959 दिनांक 07.8..2018 की शर्त सं0–1 के अनुसार एवं उप जिलाधिकारी पोखरी की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत पोखरी–काण्डई मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 7.35 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज् में **ग्राम खाल्यूं** रा0उ0नि0 क्षेत्र देवर तहसील पोखरी की सीमान्तर्गत चिन्हित ख0खा0सं0–8 के खसरा सं0–40 रकबा 0.978 है0 मध्ये 0.793 है0 एवं खसरा सं0–135 रकबा 6.194 है0 **कुल 6.987 है0 भूमि**, जो कि नॉनजेडए श्रेणी–10(4) अन्य कारणों अकृषित भूमि के रूप में दर्ज है एवं **ग्राम काफलपानी** रा0उ0नि0 क्षेत्र त्रिशुला की सीमान्तर्ग चिन्हित ख0खा0सं0–6 के खसरा सं0–220 रकबा 7.713 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी–9(3)ड.कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज है, **अर्थात कुल 14.70 है0** सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0–2173/XVIII(II) /2012–18(120)/2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(स्वाति एस0 भदौरिया),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्याः 4476/छब्बीस–17 (2018–2019) गोपेश्वरः दिनांकः 04 अप्रैल, 2019

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, पोखरी।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू–लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, पोखरी।

जिलाधिकारी,
चमोली।

Scanned with CamScanner

(3)

ढ	धराद		९०८	1=	0·008
		योग →	९	1=	(0·008)
५	धराद		९५६	11=	0008
		योग →	९	11=	(0·013)
	योग श्रेणी ५ख-(2) →		6	21—	(0·051)

(3) कब्रिस्तान व श्मशान —— कोई नहीं,

(४) अन्य कारणों से अकृषिक भूमि →

र	भीटा	9	८४॥	1·718	
		2	3४॥=	0·719	
		६	॥=	0·018	
		32	3॥=	0·074	
		3८	८॥=	0·174	

मुताबिक आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय-चमोली के कार्यालय पत्र संख्या 4476/दखील-17(2018-2019 ओ०) दिनांक 04 मई 2019 के अनुसार जनपद-चमोली के अन्तर्गत पी० एम० जी० एस० वाई० के अन्तर्गत पोखरी-कांडई मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 730 हे०

	भीटा		४०	५८।।।=	0.979
			६२	५६६।।=	1.096
			५४	१००=	2.007
			५६	९६।।=	1.938
			८२	२।।	0.050
			८३	१=	0.008
			९१	४३	0.864
			९२	।।।—	0.016
			९८	२९=	0.585
			१०५	१—	0.006
			१११	१०३।	2.068
			११८	२।—	0.046
			१२६	।।।=	0.019
			१२८	१।।।	0.035
			१३३	१३	0.009
			१३५	३०८।।।	6.194
			१६१	१—	0.021
		योग →	22	९२५।।।=	(18.613)
५	रगड		९६	1	0.005
		योग →	1	1	(0.005)

~~वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम खाल्यू थ.ठा.मी. क्षेत्र पोखर तहसील पोखरी की सीमान्तर्गत चिन्हित ख० खा० ख०-8 के खाता सं० 40 रकबा 0.978 है० मध्ये 0.793 है० एवं खसरा संख्या-135 रकबा 6.194 है० कुल 6.987 है० भूमि को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं०-21 न 3/XVIII(II)/2012-18(20)/2010 दिनांक 1 दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है,~~

16/3/2019
प्र.अधि.

(5)

योग श्रेणी	१० - (४) →	२३	ई३०=	18.658
योग श्रेणी	१० →	३३	ई७५१॥-	18.709
योग श्रेणी	ई व.१० →	३४	ई७८॥=	18.770
योग सम्पूर्ण ग्राम →		३४	ई७८॥=	18.770

मा० उपजिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार तैयार की

(जगपति बेहवाल)
लेखपाल द्वारा
पोरखरी

५१	0.008	/	
५४	0.420	/	
५६	0.063	/	
५७	0.006	/	
५८	0.008	/	
५९	0.006	/	
६०	0.008	/	
६२	0.005	/	→ मुताबिक आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय चमोली के कार्यालय पत्र सं० 4476/छब्बीस-17 (2018-2019) जोपेश्वर दिनांक 04 मई 2019 के अनुसार जनपद चमोली के अन्तर्गत पी० एम० जी० एस० वाई० के अन्तर्गत पोखरी-काण्डई मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 7.35 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के सम्बन्ध में ग्राम काफलपानी पट्टी उ० नि० क्षेत्र त्रिशूला तहसील पोखरी की सीमान्तर्गत खसरा सं० 220 में रकबा 7.720 है० मध्ये 7.713 है० भूमि को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं० 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।
६३	0.006	/	
६४	0.015	/	
६५	0.008	/	
६६	0.009	/	
६७अ	0.159	/	
७४	0110	/	
७९	0.011	/	
८०	0.005	/	
१२२	0.001	/	
१२३	0.004	/	
१२४	0.013	/	
१२५	0.008	/	
१२६	0.010	/	
१२७	0.008	/	
१२८	0.009	/	
१६०	0.425	/	
१९१	0.039	/	
१९२अ	0.313	✓	
२१९	0.085	[illegible]	
220	7.614	[illegible] 7.720	
264	0.080	✓	

22/8/19
रा० उ० नि०
त्रिशूला

50

Scanned with CamScanner

५१	0.008	/	
५२	0.420	/	
५३	0.063	/	
५६	0.006	/	
५८	0.008	/	
५९	0.006	/	
६०	0.008	/	
६२	0.005	/	→ मुताबिक आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय चमोली के कार्यालय पत्र सं० 4476/छब्बीस-17 (2018-2019) गोपेश्वर दिनांक 04 मई 2019 के अनुसार जनपद चमोली के अन्तर्गत पी० एम० जी० एस० वाई० के अन्तर्गत पोखरी-काण्डई मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 7.35 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण के एवज में ग्राम काफलपानी रा० उ० नि० क्षेत्र त्रिशूला तहसील पोखरी की सीमान्तर्गत खसरा सं० 220 में रकबा 7.720 है० मध्ये 7.713 है० भूमि को वन विभाग के पक्ष मे नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं०-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।
६३	0.006	/	
६४	0.015	/	
६५	0.008	/	
६६	0.009	/	
६७अ	0.159	/	
५४	0110	/	
५९	0.011	/	
८०	0.005	/	
१२२	0.001	/	
१२३	0.004	/	
१२४	0.013	/	
१२५	0.008	/	
१२३	0.010	/	
१२६	0.008	/	
१२८	0.009	/	
१६०	0.425	/	
१६१	0.038	/	
१६२अ	0.313	✓	
२९१	0.085	[illegible]	
२२०	7.614	[illegible] 7.720	
२६४	0.080	✓	

[illegible] 28/08/19 रा० उ० नि० त्रिशूला 50

Scanned with CamScanner

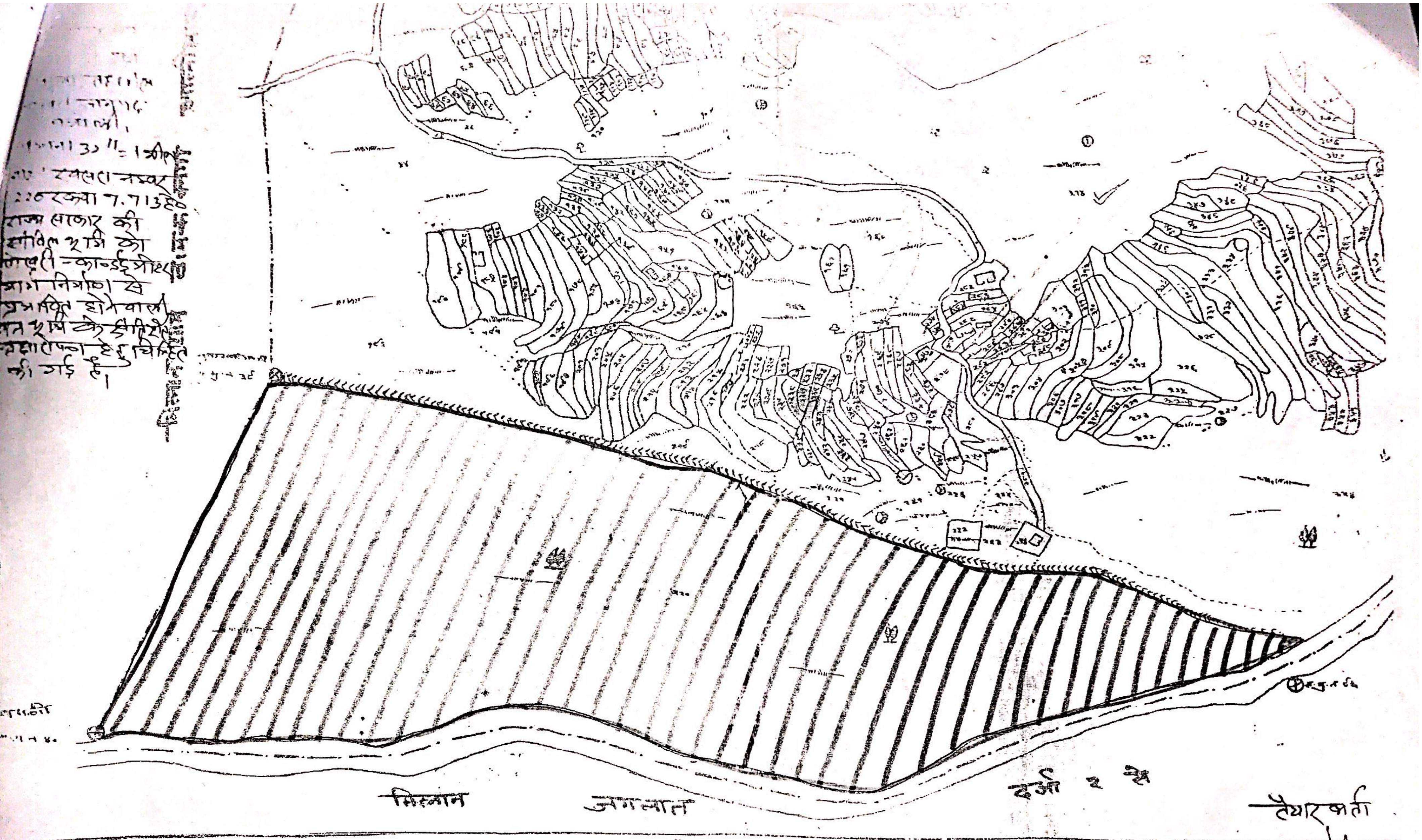

सत्यापित

AE

सहायक अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई० खण्ड
लो० नि० वि० पोखरी (चमोली)

अधिशासी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई० खण्ड
लो० नि० वि० पोखरी (चमोली)

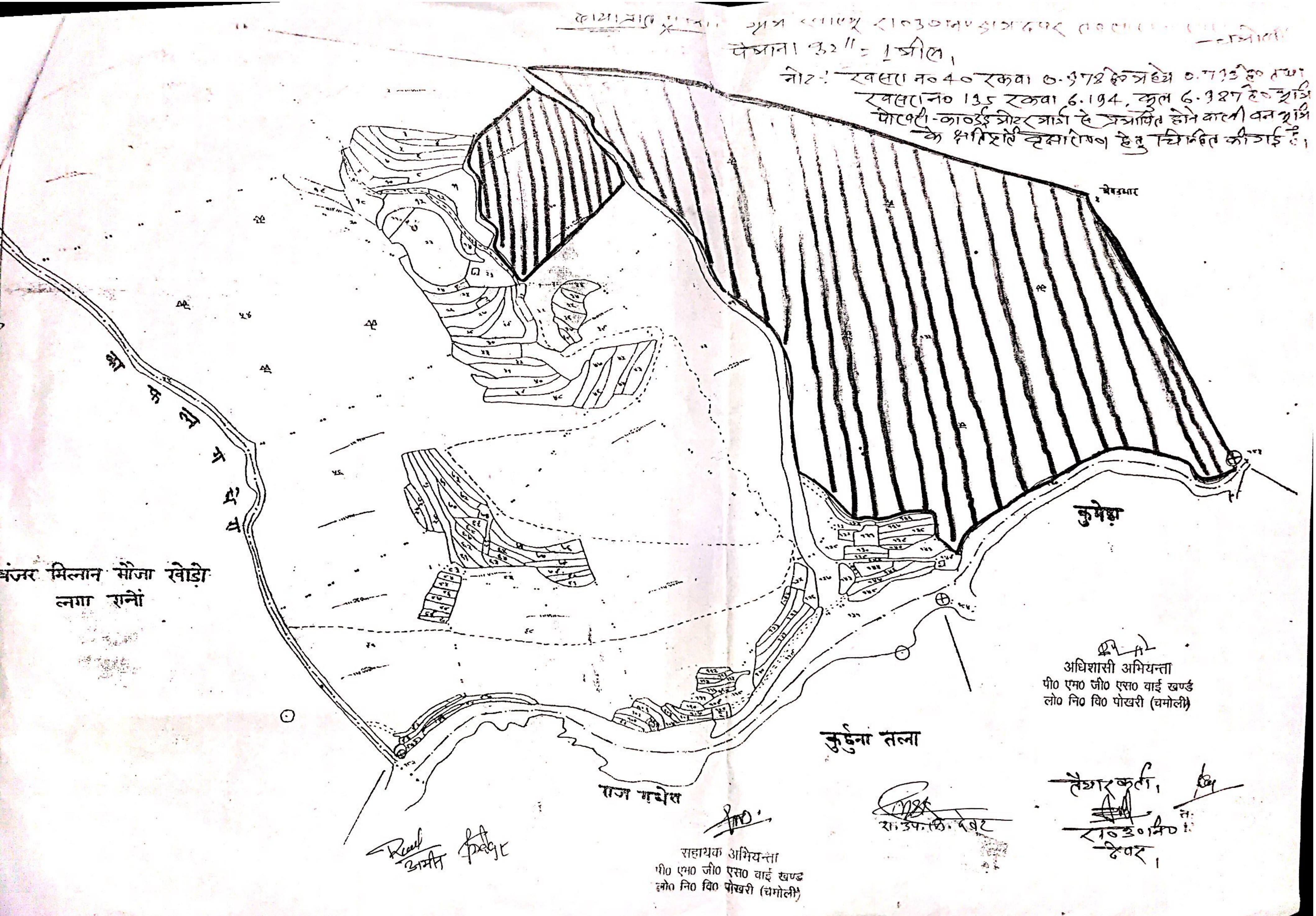
पैमाना 32" = 1 मील,
नोट:- खसरा नं० 40 रकबा 0.378 हे० में से 0.773 हे० तथा खसरा नं० 135 रकबा 6.194, कुल 6.387 हे० भूमि पोखरी-कांडई मोटर मार्ग से प्रभावित होने वाली वन भूमि के क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चिन्हित की गई है।
बेबड़धार
कुमेड़ा
बंजर मिलान मौजा खोड़ा
लगा रानों
श्री केदार मा र्ग
कुड़ुना तल्ला
राज मगोस
अधिशासी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई खण्ड
लो० नि० वि० पोखरी (चमोली)
सहायक अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई खण्ड
लो० नि० वि० पोखरी (चमोली)
तैयार कर्ता,
अमीत

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 11-01-2019

Agency Name.	PMGSY DIVISION PWD POKHARI
Application No.	6110131552
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/117/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division, PWD Pokhari, chamoli (UttarChamoli
Amount(in Rs)	10307125.5/-

Amount in Words :One Crore Three Lakh Seven Thousand One Hundred and Twenty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896110131552 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 11-01-2019

Agency Name.	PMGSY DIVISION PWD POKHARI
Application No.	6110131552
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/117/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction Division, PWD Pokhari, chamoli (Uttar Chamoli
Amount(in Rs)	10307125.5/-

Amount in Words :One Crore Three Lakh Seven Thousand One Hundred and Twenty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896110131552 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Scanned with CamScanner

GEOLOGICAL SURVEY

GENERAL GEOLOGY AND TOPOGRAPHY:

REGIONAL GEOLOGY AND STRUCTURE OF THE HIMALAYAS:

The geological formation in Himalayas takes sharp turn forming hair pin bends at the Eastern and Western extremities of the arc, and continue Southwards into Burmese and Baluchistan arcs respectively. These two points of acute inflexion constitute the major syntaxial bends in the Himalayas.

The Lesser Himalayas are composed of tectonically compressed blocks of Paleozoic and Mesozoic crystallines, metamorphic and sedimentary rocks. The main central thrust is a major tectonic feature of the Himalayas and has brought the crystalline rocks of Higher Himalayas over the younger Sedimenterries.

The Higher Himalayas consists of a single range with an average height exceeding 6,000m. The width of this zone, mostly composed of Granite and Gneisses, is 24km. The central crystalline occupy the core of the axis of the range and are considered as tertiary intrusive accompanying the compressional movements responsible for the uplift of the Himalayas.

GEOLOGY OF CHAMOLI AREA

The main lithological units in this region are: Vaikriata group, Musiari, Tejam, Berinag and Damtha formation. The Vaikrita group of rock are part of higher Himalayas and consists of higher grade metamorphic rocks of granite and gneisses. Precambrians are exposed in the area North of Chamoli. The Ramgarh group consists of crystalline rocks of predominantly Quartzites and sediments exposed Southward of Chamoli. The crystalline rock of metasediments and acidic intrusives are exposed near Siraupani and North of Chamoli. The Klippen Zone of Almora are medium grade metamorphic covering large part of the area and form the border located South of Vaikrita group of rock.

The boundary between the high grade metamorphic rocks of Vaikrita group and low grade metamorphic rocks of Almora group is Vaikrita thrust, defined as Main Cenral Thrust (MCT). The MCT has also been identified as a Zone of ductile shearing and thrusting, dipping about 30°, Northward manifested essentially in abrupt change in structures and grade of metamorphism. The well-mapped faults in this region are the Alaknanda fault near Karanprayag and the Gopeshwar fault extending MNW-SSE direction from Nandprayag to Gopeswar.

Geologically the area belong to the Lesser Himalayas and lies in a tectonic fore deep. The Lesser Himalayas are comprised of fanglomerates followed by bedded quartzites, slates, phyllites and low-grade schists. The rock types are ranging from green schist to lower amphibolite facies. The main rock types are schists, phyllites and quartzites.

Central Crystallines:

The central crystalline rocks are well exposed in the Higher Himalaya of Alaknanda valley of district Chamoli. The rocks of Central Crystalline Group form the oldest crystalline basement of the Himalaya. The gneisses, migmatites, crystalline schist, thick quartzite with conspicuous horizons of calc-silicates with psammite gneisses in the upper part form bulk of the metasediments. The major geological formations of the Central Crystallines along with the lithology are given in Table 1.

Garhwal Group (Supersequence): Palaeoproterozoic

The Garhwal Group forms the most extensive Group of rocks in district Chamoli. The rocks of palaeoproterozoic time-span are grouped in Garhwal Group. It forms the major part of the Lesser Himalaya and is represented by thick sequence of low-grade metasediments consisting of quartzite with penecontemporaneous mafic metavolcanics and carbonate rocks. Garhwal Group is limited in the north by the Main central Thrust and in the south by the Main Boundary Fault. The Garhwal Group consists of quartzite, phyllite, slate and limestone. Acid and basic igneous rocks intrude the Garhwal Group.

Table 1. Major geological formations of the Central Crystallines along with the lithology

GPS Engineering Consultants Pvt. Ltd. Pokhari
Executive Engineer
Construction Division P.W.D.
Pokhari (Chamoli)

GEOLOGICAL FORMATION	LITHOLOGY
Badrinath	Garnet, Sillimanite, Muscovite and kyanite, migmatites, calc-silicates. Leucogranite, pegmatite and garnet amphibolite.
Pandukeshwar	Banded quartzite gneiss and interbedded quartz mica-schist, para-amphibolite
Joshimath	Garnet mica-gneiss, staurolite and kyanite-gneisses, garnet amphibolite.
Bhimgora	Quartzite White quartzite with gneiss and schist Ragsi Mica-schist.

Vaikrita Group: Mesoproterozoic to Neoproterozoic

Vaikrita group (Supersequence) of rocks represents the higher-grade metamorphics of the Higher Himalaya pervasively penetrated by young Tertiary granite. The rocks comprising, this group, are micaceous schists, talcose rocks, phyllites and gneisses overlying mainly the granite gneisses. Spatial extension wise the Vaikrita Group includes the metasedimentaries exposed between the granite-gneisses constituting the Central Crystalline and the overlying Martoli Group and its equivalents. The granite intrudes both the Vaikrita and Martoli Groups and includes biotite granite, tourmaline granodiorite, tourmaline aplite and pegmatite.

Lesser Himalaya (Supersequence): Mesoproterozoic to Neoproterozoic

This supersequence, in Lesser Himalaya, is represented by two groups, viz. the older Jaunsar Group and the younger Dudatoli Group. These two groups are briefly described below.

Jaunsar Group:

The rocks of this group are continuously exposed in the outer Lesser Himalaya. In Chamoli district it is exposed in the southwestern part. It is divided into three formations, viz. Mandhali, Cahndpur & Nagthat, and consists mainly of phyllite, quartzite and slate

Tethys Himalaya:

Martoli Group is represented by a thick sequence of unmetamorphosed to feebly metamorphosed rocks in district Chamoli. The rocks of this group are exposed Alaknanda River basin. The main rock types are silver grey phyllite with interbedded thin quartzite, garnetiferous grey phyllite, foliated quartzite with biotite bearing phyllite, thin laminated greenish grey, brown purple quartzite slate with thin calcareous lenses.

Ordovician to Carboniferous (Supersequence)

Consultants JE AE EE

Executive Engineer
Construction Division P.W.D
Pokhari (Chamoli)

The development of this supersequence is restricted to the Tethys Himalayan zone only. There is no record from Lesser Himalaya where the rocks of Martoli Group are unconformably overlain by the rocks of early Permian period. In the Tethys Himalaya this supersequence comprises the Sumna and Kanawar Groups. The rocks of the Sumna Group range in age from Early Ordovician to Devonian and it is divided into Ralam and Garbyans formations. The rock types are purple conglomerate, purple to greenish grey quartzite, quartzite with bands of calcilutite, calc-siltstone and brown dolomictic limestone with chlorite layers in the lower part. The sequence of limestone and black shale unconformably overlying the Sumna Group constitute the Kanawar Group. The rock types are sandy dolomite, carbonaceous shale, limestone and quartzite, which conformably lie over the Sumana Group.

Barring the alluvial deposits along the river courses and flood plains, entire area of District Chamoli is covered by hard rocks. The main rock types are quartzites, phyllites, slates, gneisses of varying degree of metamorphism along with granite intrusives and metabasics. The topography is highly undulating and geological formations are moderately to steeply dipping. Due to frequent undulations of high magnitude a continuous water table doesn't exist. However, permeable formation overlays an impermeable one, the water table exists, its extension depends upon the distribution of the aquifer forming rocks and topography.

The rocks have undergone intensive metamorphism and recrystallization. The preexisting rocks got mineralogically and physically rearranged at temperatures higher than the ones at which the rocks were originally formed. This resulted in sealing the primary porosity of the rocks. The area of Uttarkashi district was reshaped by repeated tectonic activities, which gave rise to the development of folds, faults and joints. These structures helped developing the secondary porosity and permeability.

GEOLOGICAL STATE:

This road alignment is spread over Jaunsar group of Lessar Himalayan Region and consisting mainly of phyllite, quartzite and slate. Quartzite rocks are visible at some places having layer of soil and debris of varying thickness over them. These rocks have fault with a direction of EW and thrusts as shown in the diagram. Upper strata of the rock formation is of medium hardness. This upper formation is mainly of Phyllites and slates. After this, Quartzite formation is apparent with rocks of heavy hardness.

Sequential Geological tectonic formation at the site under consideration is represented as follows:

Layer of soil

Debris

Phyllite or Slate

Quartzite

The hill slope ranges from medium to steep all along the alignment.

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 117 / 2015 / एफ0सी0/959 दिनांकः 07/ 08 / 2018

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : **Diversion of 7.35 ha of forest land for Construction of Pokhri-Kandai Motor Road in favour of PMGSY within the jurisdiction of Kedarnath Wild Life Forest Division, District Chamoli, Uttarakhand (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/10131/2015).**

सन्दर्भ : ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/10131/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक–333/X-4-15/1(158)/2015 दिनांक 23.05.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/10131/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र के अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां / दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने एवं प्रस्ताव को Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 18.05.2018 को हुई बैठक में पारित किया गया। REC द्वारा प्रस्ताव को पारित करते हुए वांछित आवश्यक सूचनाओं / दस्तावेजो के प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार **Diversion of 7.35 ha of forest land for Construction of Pokhri-Kandai Motor Road in favour of PMGSY within the jurisdiction of Kedarnath Wild Life Forest Division, District Chamoli, Uttarakhand** हेतु **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती हैः

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 14.70 है0 काफलपानी एवं खाल्यों सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर **Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।**
5. सड़क निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. may upload authorization letter in the favour of person making the application.

7. State Government may upload the muck dumping detail in component wise breakup at para B 2.4 online Part I.

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जायेगीः–**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 14.70 है0 काफलपानी एवं खाल्यों सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
8. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
9. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
10. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 211 से अधिक न हो।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीया,

(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

18-9-18

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः– 909 / 12–1 गोपेश्वर, दिनांक 30-8 2018

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई लो0नि0वि0,
पोखरी।

विषयः– जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत पोखरी– काण्डई मोटर मार्ग निर्माण हेतु 7.35 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषय के कम में अवगत करना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु 570 वृक्षों के रोपण की संशोधित धनराशि एवं एन0पी0वी0 की धनराशि निम्नाँनुसार जमा की जानी है।

कसं0	जिसमें धनराशि जमा की जानी है।	क्षेत्रफल(है0 में)	प्रति है0	कुल धनराशि
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	14.70	2,78,665.00	40,36,376.00
2	एन0पी0वी0 (घनत्व .6)	7.35 है0	9,39,000.00	69,01,650.00

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वन भूमि सहा०
18.09.18
प्रशा०

भवदीय,

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।